(५)

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम बनाम सरपंच ग्रा0पं0 भगवानगढ़ आदि

किस्म मुकदमा:—निगरानी अ0धा0 97 राज.पंचायती राज अधिनियम प्रकरण सं.—07/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.03.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चक 4 डीबीएन के नाम से ग्राम पंचायत भगवानगढ के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 21.2.2022 के आधार पर पट्टा संख्या 01 साईज 100 गुणा 200 फुट को खारिज किये जाने हेतु कथन किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया गया निगरानी में प्रस्तुत ग्राम पंचायत ढाबां द्वारा ओमप्रकाश पुत्र गंगाबिशन के नाम से जारी पट्टा संख्या 142 मिसल संख्या 28 दिनांक 25.03.1976 अंकित है तथा पिछले पेज पर पट्टा संख्या 141 मिसल संख्या 28 दिनांक 25.03.1976 अंकित है। उक्त दोनों पेज पर पट्टा संख्या अलग—अलग अंकित है। निगरानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत पट्टे के रिकार्ड के सम्बंध में ग्राम पंचायत ढाबा द्वारा पत्रांक एसपीएल/01/2022—23 दिनांक 23.01.2023 व ग्राम पंचायत भगवानगढ द्वारा पत्रांक एसपीएल 1/2023—24 दिनांक 20.92023 से अवगत कराया गया कि दोनो ग्राम पंचायत में इस पट्टे से सम्बंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा भी आदिनांक तक पट्टे की असल प्रति अथवा प्रमाणित प्रति न्यायालय में पेश नहीं की गई है जिससे निगरानीकर्ता के उक्त पट्टे की सत्यता संदेहास्प्रद सिद्ध होती है। जैर निगरानी भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का काबिज होना साबित नहीं है, अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज करना उचित समझते है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (कन्हैया लाल सोनगरा) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.23 14:47:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner